(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 79/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 10.12.2024
निर्णय दिनांक : 12.05.2025

1. शांति देवी पुत्री श्री दीनदयाल पत्नी श्री लीलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मांढण, तहसील–मांढण हाल निवासी संगीवाडा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ। – प्रार्थीया

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र श्री मामचन्द
2. बृजेश पुत्र श्री भगवती प्रसाद
3. रामबाबू पुत्र श्री भगवती प्रसाद
4. अमित पुत्र श्री हेमन्त उर्फ सुमन
5. चिराग पुत्र श्री हेमन्त उर्फ सुमन
6. रूकमणी पुत्री श्री भगवती प्रसाद
7. पवन कुमार पुत्र श्री भगवती प्रसाद
   समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम–मांढण, तहसील– मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड,
8. उपखण्ड अधिकारी नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड। –अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 233 आर टी एक्ट

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री योगेश्वर प्रकाश अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांक– 12.05.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष प्रकरण उनवानी शांति बनाम पवन कुमार प्रकरण संख्या 819/2015 (189/2008) विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश्वर प्रकाश ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पर बहस करना जाहिर किया।
3. वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
4. प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष वाद बाबत इश्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राजात व हुक्मइम्तनाई बअनुवानी शांति देवी बनाम पवन कुमार प्रकरण संख्या 819/2015 (189/2008) इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 178/0.44, 181/0.67, 192/2145/0.11, 1407/0.35, 1406/0.08, 1407/2129/0.01, 1408/0.29, 1409/0.20. 1410/0.10 वाके मोजा मांडण तहसील नीमराना बाबत प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 08.08.2022 को प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया परपर अधिनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षो को सुनने के उपरान्त अपने विस्तृत निर्णय दिनांक 16.11.2022 के द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी खारीज कर दिया तदउपरान्त अप्रार्थीगण द्वारा पुनः उन्ही बिन्दुओ पर आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 22.06.2023 को प्रस्तुत किया। अप्रार्थी/प्रतिवादीगण स्थानीय निवासी है तथा स्थानीय राजनीति में दखल रखते है इस कारण स्थानीय प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्तियों द्वारा उपखण्ड अधिकारी नीमराना के पीठासीन अधिकारी पर दवाब डाल विधि विरूद्ध रूप से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र आदेश 07

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

नियम 11 सीपीसी के आधार पर प्रार्थीया/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायानय के समक्ष प्रस्तुत उपरोक्त वाद को खारिज करवाने पर आमादा हो रहे है। पीठासीन अधिकारी स्थानीय राजनैतिक दवाबवश लगातार प्रकरण में छोटी–छोटी तारीख पेशी नियत की जा रही है। अप्रार्थीगण स्थानीय निवासी है जबकि प्रार्थीया नारनौल जिला महेन्द्रगढ, हरियाणा की निवासी है एवं अप्रार्थीगण स्थानीय प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्तियों पर अनैतिक दवाब बनाकर प्रार्थीया के उपरोक्त वाद को ऐनकेन प्रकरण खारीज करने पर आमादा हो रहे है। पीठासीन अधिकारी महोदय अप्रार्थी के द्वारा लगाये जा रहे अनैतिक स्थानीय राजनीति के कारण अप्रार्थीगण के प्रभाव में है तथा प्रकरण में छोटी छोटी तारीख पेशी नियत कर वादीया/प्रार्थीया के उपरोक्त वाद को खारीज करने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थीया/वादीया को उनसे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कतई नहीं है। इसलिए उपरोक्त पत्रावली का स्थानान्तरण उपखण्ड अधिकारी नीमाराणा एवं सहायक कलेक्टर नीमराना के राजस्व न्यायलय के अतिरिक्त जिले के अन्यत्र न्यायालय में किया जाना न्यायसंगत है। अन्तमें वकील प्रार्थिया ने निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष विचाराधीन वाद बअनुवानी शांति देवी बनाम पवन कुमार प्रकरण संख्या 819/2015 (189/2008) को तहसील नीमराणा के अतिरिक्त अन्यत्र उपखण्ड अधिकारी के समक्ष स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावे।

5 अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी के द्वारा जानबूझकर प्रकरण में विलम्ब करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो चलने योग्य नही है। उक्त प्रार्थना पत्र केवल कयास के आधार पर बिना किसी प्रावधान के पेश कर दी है। प्रार्थी ने झूठे आरोप लगाये है। अन्त में वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस मे जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में विधिवत् सुनवाई की जा रही है ये प्रार्थना पत्र केवल प्रकरण को अनावश्यक विलम्ब करवाने हेतु पेश किया है। यदि उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 02 व 03 को कोई आपत्ति नहीं है।

6 वकील उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया करने पर यह परिलक्षित होता है कि प्रकरण में वकील प्रार्थीया ने प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने का निवेदन किया है तथा वकील अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने भी अपनी बहस में जाहिर किया कि यदि प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 02 व 03 को कोई आपत्ति नहीं है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, नीमराना में विचाराधीन उनवानी वाद शांति देवी बनाम पवन कुमार प्रकरण संख्या 819/2015 (189/2008) को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को स्थानांतरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त उनवानी प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को शीघ्र मूल पत्रावली प्रेषित करें। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त उनवानी प्रकरण का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करें। उभयपक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष दिनांक 27.05.2025 को उपस्थित होवें। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना/कोटपूतली को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़